उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-100/2021/2265/26-3-2021-1(15)/2021
लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2021

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-88/2021/1779/26-3-2021-1(15)/2021, दिनांक-20.07.2021 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रैन, जनपद-रायबेरली के भवन मरम्मत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-20.07.2021 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-2225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-29-अनुरक्षण मद के स्थान पर लेखाशीर्षक-2225-01-789-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या-88/2021/1779/26-3-2021-1(15)/2021, दिनांक-20.07.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहंेगे।

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

पृसं0-100/2021/2265 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, रायबरेली।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।